रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012025-259898 CG-DL-E-03012025-259898

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/ पौष 13, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/ PAUSHA 13, 1946

No. 47]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ.49(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी', (पैन: AAALE0284C) जो कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक सोसायटी है, को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:

- (क) केन्द्र सरकार एवं कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान,
- (ख) कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार की गई बागवानी गतिविधियों से प्राप्त राजस्व जैसा कि कर्नाटक सरकार के दिनांक 14.11.2008 के आदेश संख्याः एएचडी 88 एचपीपी 2008 द्वारा जारी इसके संगम ज्ञापन में उल्लिखित है; तथा
- (ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।
- यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास एजेंसी'-
 - (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी:

64 GI/2025 (1)

- (ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पुरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी: और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
- 3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों क्रमशः 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 5 /2025 फा.सं. 300196/37/2019-आईटीए-I]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भृतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

- **S.O. 49(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Karnataka State Horticulture Development Agency' (PAN: AAALE0284C), a Society constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-
 - (a) Grants-in-aid received from Central Government and State Government of Karnataka;
 - (b) Revenue from horticulture activities undertaken as per the aims and objectives of Karnataka State Horticulture Development Agency as mentioned in its Memorandum of Association issued vide Karnataka Government Order No: AHD 88 HPP 2008, dated 14.11.2008; and
 - (c) Interest on bank deposits.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Karnataka State Horticulture Development Agency' -
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024.

[Notification No. 5 /2025 F. No. 300196/37/2019-ITA-I]

ASHWANI KUMAR, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification